

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 जुलाई 2010—श्रावण 1, शक 1932

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 जुलाई 2010

क्रमांक ई 1-1/2010/1/2.—श्री यशवंत कुमार, भा.प्र.से. (2007) अनुविभागीय अधिकारी, सारंगढ़ जिला रायगढ़ की सेवाएं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कोरिया के पद पर पदस्थापना हेतु सौंपी जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सरजियस मिंज, अपर मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 28 जून 2010

क्रमांक 622/558/2010/1-8/स्था.— इस विभाग के आदेश क्रमांक 942-43/382/2010/1-8/स्था., दिनांक 21-5-2010 द्वारा श्री जेवियर करकेट्टा, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग को दिनांक 24-5-2010 से 29-5-2010 तक 06 दिवस स्वीकृत किये गये अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 30-5-2010 से 5-6-2010 तक 07 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. पैरा-2, 3 एवं 4 विभागीय आदेश दिनांक 21-5-2010 के अनुसार यथावत होंगे.

रायपुर, दिनांक 28 जून 2010

क्रमांक 624/557/2010/1-8/स्था.— श्री डी. के. माथुर, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को दिनांक 21-5-2010 से 5-6-2010 तक 16 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री डी. के. माथुर को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी. के. माथुर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 28 जून 2010

क्रमांक 628/431/2010/1-8/स्था.— श्री विनोद गुप्ता (दूरसंचार सेवा), विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को दिनांक 17-5-2010 से 26-5-2010 तक 10 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री विनोद गुप्ता को विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री विनोद गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 28 जून 2010

क्रमांक 630/580/2010/1-8/स्था.— इस विभाग के आदेश क्रमांक 539-40/259/2010/1-8/स्था., दिनांक 4-5-2010 द्वारा श्री सैयद कौसर अली, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 17-5-2010 से 29-5-2010 तक 13 दिवस स्वीकृत किये गये अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 30-5-2010 से 5-6-2010 तक 07 दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. पैरा-2, 3 4 एवं 5 विभागीय आदेश दिनांक 4-5-2010 के अनुसार यथावत होंगी.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 जुलाई 2010

क्रमांक/एफ-1-5/25-2/2003/आजावि.—वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 13 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड में, अधिनियम की निम्नांकित धाराओं के तहत समक्ष में अंकित व्यक्तियों को सदस्य नियुक्त करता है।

क्र.	वक्फ अधिनियम की धारा	नाम व्यक्ति जिसे नियुक्त किया जाता है
1.	धारा 14 (1) (ख) (ii)	श्री मोहम्मद अकबर, विधायक, के. के. रोड, मौदहापारा, रायपुर
2.	धारा 14 (1) (ख) (ii)	श्री बदरुद्दीन कुरैशी, विधायक, भिलाई नगर
3.	धारा 14 (1) (ख) (iii)	श्री फैजल रिजवी, अधिवक्ता, इंडियन काफी हाउस के पीछे, जी.ई. रोड, रायपुर.
4.	धारा 14 (3) [धारा 14 (5) की पूर्ति हेतु]	श्री शाहिद हुसैन, अधिवक्ता, गोलछा काम्पलेक्स, सी/103, नलघर चौक, रायपुर.

2. यह अधिसूचना दिनांक 20 जुलाई, 2010 से प्रभावशील होगी.

रायपुर, दिनांक 3 जुलाई 2010

क्रमांक/एफ-10-17/25-3/2009/आजावि.—राज्य शासन, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों के सरल क्रमांक 39 में सम्मिलित “कुरमी, कुरमार, कुनबी, कुमी, पाटीदार (कुलमी, कुल्मी, कुल्म्बी), कुर्मवंशी, चन्द्रकार, चंद्रनाह, कुंभी, गवैल (गमैल) सिरवी” के पश्चात् “कुन्बी” को स्थापित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, उप-सचिव.

वन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 जून 2010

क्रमांक/एफ 5-23/2004/10-2.—राज्य शासन एतद्वारा विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24-7-2009 की कंडिका 13 तथा 14 के स्थान पर निम्नानुसार कंडिका प्रतिस्थापित करता है :—

13 (1) राज्य कैम्पा का शासी निकाय निम्नानुसार होगा :—

(i)	माननीय मुख्यमंत्रीजी	-	अध्यक्ष
(ii)	माननीय वन मंत्रीजी	-	सदस्य
(iii)	माननीय वित्त मंत्रीजी	-	सदस्य
(iv)	मुख्य सचिव	-	सदस्य
(v)	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वन	-	सदस्य सचिव
(vi)	प्रमुख सचिव, वित्त	-	सदस्य

- | | | | |
|--------|---------------------------|---|-------|
| (vii) | प्रधान मुख्य वन संरक्षक | - | सदस्य |
| (viii) | मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक | - | सदस्य |

शासी निकाय कैम्पा के संचालन हेतु विस्तृत नीतिगत ढांचा निर्धारित करेगा, तथा कैम्पा के क्रियान्वयन की समय-समय पर समीक्षा करेगा.

13 (2) राज्य कैम्पा की संचालन समिति निम्नानुसार होगी :—

- | | | | |
|--------|---|---|------------|
| (i) | मुख्य सचिव | - | अध्यक्ष |
| (ii) | अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वन | - | सदस्य |
| (iii) | प्रमुख सचिव/सचिव वित्त | - | सदस्य |
| (iv) | प्रधान मुख्य वन संरक्षक | - | सदस्य |
| (v) | मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक | - | सदस्य |
| (vi) | प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य लघु वनोपज संघ | - | सदस्य |
| (vii) | केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधि | - | सदस्य |
| (viii) | गैर सरकारी संगठनों के नामांकित दो सदस्य जिन्हें राज्य शासन द्वारा दो वर्ष के लिए नामांकित किया जाएगा एवं जिन्हें पुनर्नामांकित किया जा सकेगा. | - | सदस्य |
| (ix) | मुख्य वन संरक्षक, (विकास/योजना) | - | सदस्य |
| (x) | नोडल अधिकारी (मुख्य वन संरक्षक, भू-प्रबंध) | - | सदस्य |
| (xi) | अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) | - | सदस्य सचिव |

13 (3) संचालन समिति :—

- (i) राज्य कैम्पा के उद्देश्यों एवं सिद्धांतों के अधीन क्रियान्वयन समिति के कार्य संपादन हेतु नियमों एवं प्रक्रियाओं को तैयार करेगी.
- (ii) राज्य कैम्पा द्वारा जारी की गई धनराशि के उपयोग एवं कार्य की प्रगति का अनुश्रवण करेगी.
- (iii) क्रियान्वयन समिति द्वारा अनुशंसित किए गए वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन करेगी.
- (iv) राज्य कैम्पा के वार्षिक प्रतिवेदनों एवं अंकेक्षित लेखा का अनुमोदन करेगी.
- (v) अंतर्विभागीय समन्वय सुनिश्चित करेगी.
- (vi) छः माह में कम से कम एक बार बैठक करेगी.

14 (1) राज्य कैम्पा की क्रियान्वयन समिति निम्नानुसार होगी :—

- | | | | |
|-------|--|---|------------|
| (i) | प्रधान मुख्य वन संरक्षक | - | अध्यक्ष |
| (ii) | मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक | - | सदस्य |
| (iii) | मुख्य वन संरक्षक (विकास/योजना) | - | सदस्य |
| (iv) | प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ | - | सदस्य |
| (v) | गैर सरकारी संस्थाओं के दो नामांकित सदस्य जिन्हें राज्य शासन द्वारा दो वर्ष के लिए नामांकित किया जाएगा एवं जिन्हें पुनर्नामांकित किया जा सकेगा. | - | सदस्य |
| (vi) | नोडल अधिकारी (मुख्य वन संरक्षक, भू-प्रबंध) | - | सदस्य |
| (vii) | अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) | - | सदस्य सचिव |

14 (2) राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति :—

- (i) संचालन समिति द्वारा अनुमोदित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अंतर्गत तथा अनुमोदित वार्षिक कार्य आयोजना के अनुरूप राज्य कैम्पा को मूर्त रूप देने हेतु, उद्देश्यों एवं सिद्धांतों के अनुरूप समस्त कदम उठायेगी.

- (ii) राज्य हेतु विभिन्न गतिविधियों के लिए वार्षिक कार्य आयोजना तैयार करेगी, इसे संचालन समिति के समक्ष दिसंबर माह की समाप्ति के पूर्व प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रस्तुत करेगी, एवं प्रस्तावित गतिविधियों एवं अनुमानित व्यय का विवरण देते हुए संचालन समिति की सहमति से धनराशि विमुक्त करने हेतु प्राप्त करेगी.
- (iii) राज्य में कैम्पा निधि के द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे कार्यों का पर्यवेक्षण करेगी.
- (iv) निधि के आय-व्यय के उचित लेखा परीक्षण हेतु उत्तरदायी होगी.
- (v) क्रियान्वयन संस्था के लेखाओं के रख-रखाव हेतु संहिता का निर्धारण करेगी.
- (vi) संचालन समिति के समक्ष प्रतिवेदन समीक्षा हेतु प्रस्तुत करेगी.
- (vii) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के जून माह के अंत तक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगी.

No. F 5-23/2004/10-2.—The State Government hereby substitutes the following paragraphs in place of para 13 & 14 of the notification of even No. dated 24-07-2009 :—

13 (1) The Governing body of the State CAMPA shall consist of the following :—

- | | | | |
|--------|--|---|------------------|
| (i) | Honourable Chief Minister | - | Chairperson |
| (ii) | Honourable Minister of Forests | - | Member |
| (iii) | Honourable Minister of Finance | - | Member |
| (iv) | Chief Secretary | - | Member |
| (v) | Additional Chief Secretary/Principal Secretary (Forests) | - | Member Secretary |
| (vi) | Principal Secretary (Finance) | - | Member |
| (vii) | Principal Chief Conservator of Forests | - | Member |
| (viii) | Chief Wild Life Warden | - | Member |

The Governing Body shall lay down the broad policy framework for functioning of State level CAMPA and review its working from time to time.

13 (2) The Steering Committee of State CAMPA shall consist of the following :—

- | | | | |
|--------|---|---|------------------|
| (i) | Chief Secretary | - | Chairperson |
| (ii) | Additional Chief Secretary/Principal Secretary (Forests) | - | Member |
| (iii) | Principal Secretary/Secretary (Finance) | - | Member |
| (iv) | Principal Chief Conservator of Forests | - | Member |
| (v) | Chief Wild Life Warden | - | Member |
| (vi) | Managing Director, Chhattisgarh Rajya Laghu Vanopaj Sangh | - | Member |
| (vii) | A representative of the Ministry of Environment & Forests Government of India. | - | Member |
| (viii) | Two eminent NGO's to be Nominated by the State Government for a period of 2 years at a time who shall be eligible for renomination. | - | Member |
| (ix) | Chief Conservator of Forests (Development/Planning) | - | Member |
| (x) | Nodal Officer, (Chief Conservator of Forests, Land Management) | - | Member |
| (xi) | Additional Principal Chief Conservator of Forests (CAMPA) | - | Member Secretary |

13 (3) The Steering Committee shall :—

- (i) Lay down and/or approve rules and procedures for the functioning of the body and its Executive Committee, subject to the overarching objectives and core principles of State CAMPA;
- (ii) Monitor the progress of the utilization of funds released by the State CAMPA;
- (iii) Approve the Annual Plan of Operation (APO) prepared by the Executive Committee.

- (iv) Approve the annual reports and audited accounts of the State CAMPA;
- (v) Ensure inter-departmental coordination;
- (vi) Meet at least once in six months.

14 (1) The Executive Committee shall consist of the following :—

- | | | |
|---|---|------------------|
| (i) Principal Chief Conservator of Forests | - | Chairperson |
| (ii) Chief Wild Life Warden | - | Member |
| (iii) Managing Director, Chhattisgarh Rajya Laghu Vanopaj Sangh | - | Member |
| (iv) Chief Conservator of Forests (Development/Planning) | - | Member |
| (v) Two eminent NGO's to be Nominated by the State Government for a period of 2 years at a time, who shall be eligible for re-nomination. | - | Member |
| (vi) Nodal Officer (Chief Conservator of Forests, Land Management) | - | Member |
| (vii) Additional Principal Chief Conservator of Forests (CAMPA) | - | Member Secretary |

14 (2) The State level Executive Committee shall :—

- (i) Take all steps for giving effect to the State CAMPA and overarching objectives and core principles, in accordance with rules and procedures approved by the Steering Committee and approved APO;
- (ii) Prepare the APO of the State for various activities, submit it to the Steering Committee before end of December for each financial year, and obtain the Steering Committee's concurrence for the release of funds, while giving breakup of the proposed activities and estimated costs;
- (iii) Supervise the works being implemented in the State out of funds released from the State CAMPA;
- (iv) Be responsible for proper auditing of both receipt and expenditure of funds;
- (v) Develop the code for maintenance of the account at the implementing agency level;
- (vi) Submit reports to the Steering Committee for review/consideration; and
- (vii) Prepare Annual Report by end-June for each financial year.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश गोवर्धन, सचिव.

कृषि विभाग

मंत्रालय, दारु कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 जून 2010.

क्रमांक एफ 1-24/2009/14-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा छत्तीसगढ़ अधीनस्थ कृषि तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) सेवा में भर्ती के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.—

- (1) ये नियम छत्तीसगढ़ अधीनस्थ कृषि तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) कार्यपालिक सेवा भर्ती नियम, 2010 कहलायेंगे.
- (2) ये नियम छत्तीसगढ़ राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.